।। न्यायालय उपखण्ड अधिकारी अलवर ।।

पीठासीन अधिकारी – श्री प्यारे लाल सोठवाल, आर०ए०एस०

कैम्प – ग्राम पंचायत जटियाना

राजस्व प्रार्थना पत्र नं० 3/338 तारीख रज्जू : 30/11/2021

01– मंगतूराम पुत्र श्री मीनाराम जाति अहीर निवासी ग्राम नंगली मुंशी तहसील अलवर

–प्रार्थी

बनाम

01– तहसीलदार (भूमिधारी) अलवर

–अप्रार्थी

प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 136 भू राजस्व अधिनियम 1956

–: निर्णय :– दिनांक: 30.11.2021

प्रार्थना पत्र के संक्षेप में तथ्य इस प्रकार है कि प्रार्थी द्वारा प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 136 भू राजस्व अधिनियम 1956 प्रस्तुत करते हुए कथन किया कि प्रार्थी के इंतकाल संख्या 38 से आराजी खसरा नम्बर साबिक 5 में रकबा 2 बीघा 12 बिस्वा व खसरा नम्बर 25 रकबा 1 बीघा 6 बिस्वा का 2/3 हिस्सा मंगतूराम पुत्र मीनाराम अहीर के नाम से खरीद किया था। साबिक खसरा नम्बर 5 रकबा 2 बीघा 12 बिस्वा से जमाबन्दी सम्वत 2069–2074 के खाता संख्या नया 87 एवं खाता संख्या पुराना 76 पर दर्ज आराजी खसरा नम्बर 21 रकबा 0.18 है०, 22 रकबा 0.20 है० 23 रकबा 0.23 है०, 24 रकबा 0.05 है० कुल किता 4 रकबा 0.66 है० में प्रार्थी का नाम मंगतू राम पुत्र मनीराम अंकित है जबकि इंतकाल संख्या 38 में प्रार्थी का नाम मंगतू राम पुत्र मीना राम दर्ज है। प्रार्थी द्वारा मंगतू राम पुत्र मनीराम के स्थान पर मंगतू राम पुत्र मीना राम दुरूस्त करने का निवेदन किया है।

उपखण्ड अधिकारी
अलवर (राज०)

प्रार्थना पत्र दर्ज रजिस्टर हो। पत्रावली प्रशासन गॉवों के संग अभियान–2021 में कैम्प ग्राम पंचायत जटियाना में पेश हुई।

पत्रावली का आद्योपान्त अवलोकन किया। पत्रावली में उपलब्ध रिकार्ड यथा फोटोप्रति इंतकाल संख्या 38, मिलान क्षेत्रफल सम्वत 2051, प्रमाणित प्रति नकल मिसल हकीयत सम्वत 2051, फोटोप्रति जमाबन्दी सम्वत 2021–2026, 2027–2030 एवं 2069–2074, आधार कार्ड संख्या 362842698108 का मनन किया। प्रार्थी का नाम मंगतू राम पुत्र मनीराम के स्थान पर मंगतू राम पुत्र मीना राम दुरूस्त किया जाना उचित प्रतीत होता है।

अतः तहसीलदार अलवर को आदेश दिया जाता है कि कागजात माल वर्तमान राजस्व रिकार्ड जमाबन्दी सम्वत 2069–2074 के खाता संख्या नया 87 एवं खाता संख्या पुराना 76 पर दर्ज आराजी खसरा नम्बर 21 रकबा 0.18 है०, 22 रकबा 0.20 है० 23 रकबा 0.23 है०, 24 रकबा 0.05 है० कुल किता 4 रकबा 0.66 है० में प्रार्थी का नाम मंगतू राम पुत्र मनीराम का नाम कलमजन किया जाकर मंगतू राम पुत्र मीना राम दुरूस्त कर अंकित किया जावे।

निर्णय आज दिनांक 30.11.2021 को लिखाया जाकर कैम्प ग्राम पंचायत जटियाना में मजमेआम सुनाया गया। पत्रावली फैसल शुमार होकर, नम्बर से कम होकर बाद तकमील दाखिल दफ्तर हो।

(प्यारे लाल सोठवाल)
उपखण्ड अधिकारी
अलवर(राज०)